भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 4069**

(जिसका उत्तर मंगलवार 3 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**केन्द्र द्वारा लगाई गई लेवी का 15वें वित्त आयोग द्वारा अध्ययन**

**4069. श्री ए॰ के॰ सेल्वाराजः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि पन्द्रहवां वित्त आयोग केन्द्र द्वारा न केवल राजस्व पर पूर्ण अधिकार करने

 अपितु इसे राज्यों के साथ साझा करने से बचने के लिए लगाई गई लेवी का अध्ययन करेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि पन्द्रहवां वित्त आयोग राज्यों से चर्चा शुरू करेगा;

(ग) क्या पन्द्रहवें वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से चर्चा करने से पहले उन्हें कोई प्रश्नावली भेजी है;

 और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त राज्‍य मंत्री (श्री पोन. राधाकृष्‍णन)**

**(क)** पंद्रहवें वित्‍त आयोग के गठन को दिनांक 27 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) सं. का.आ. 3755(अ) द्वारा अधिसूचित किया गया था। राजपत्र अधिसूचना में अपनी सिफारिशें करते समय कर और कर-भिन्‍न राजस्‍व के स्‍तर के आधार पर केंद्रीय सरकार और राज्‍य सरकारों के संसाधनों पर विचार करने सहित विचारार्थ विषय शामिल हैं।

**(ख) से (घ):** विचार-विमर्श के भाग के रूप में, आयोग राज्‍य सरकारों के साथ चर्चा भी करता है। आयोग ने राज्‍य सरकारों से विभिन्‍न प्रश्‍नावलियों और विषयों के रूप में राज्‍य एवं स्‍थानीय निकायों के वित्‍त साधन संबंधी सूचना भी मांगी है, जिन्‍हें पंद्रहवें वित्‍त आयोग की वेबसाइट अर्थात <http://fincomindia.nic.in> पर अपलोड भी किया गया है।

\*\*\*\*\*